रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2008/पौष 14, 1929
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2008/PAUSA 14, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 जनवरी, 2008

सं. 04/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 12(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए फ्लोट ग्लास (जिसे इसके पश्चात् संबद्ध माल भी कहा गया है) जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 7005 के अंतर्गत आता है, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 165/2003-सीमाशुल्क, तारीख 12 नवम्बर, 2003 [सा.का.नि. 887(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित] के तहत प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया गया था, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण भाग I, खण्ड 1, तारीख 13 दिसम्बर, 2007 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/1/2007-डीजीएडी, तारीख 13 दिसम्बर, 2007 के तहत, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसके पश्चात् "उक्त नियम" भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत, प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में निर्णायक समीक्षा आरंभ की है और समीक्षा के सम्पन्न होने तक प्रतिपाटन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से एक साल की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की है :

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 165/2003-सीमाशुल्क, तारीख 12 नवम्बर, 2003, भारत के राजपत्र में, सं. सा.का.नि. 887(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्रॉफ 2 के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्रॉफ अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखंडित न किया जाए, 6 जनवरी, 2009 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी।"।

[फा. सं. 354/211/2002-टीआरयू (पार्ट-1)]

सोनल बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2008

No. 4/2008-CUSTOMS

G.S.R. 12(E).—Whereas, the Designated Authority *vide* Notification No. 15/1/2007-DGAD, dated 13 December, 2007, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated 13 December, 2007, has initiated review in terms of sub-Section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the "said Rules") in the matter of continuation of anti-dumping duty on Float Glass [hereinafter referred to as subject goods] falling under heading 7005 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, Peoples' Republic of China and Indonesia, imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.165/2003-Customs, dated 12 November, 2003, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 887(E), dated 12 November 2003, and has requested for extension of anti-dumping duty for a period of one year from the date of its expiry in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act pending the completion of the review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act read with rule 23 of the said Rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.165/2003-Customs, dated 12 November, 2003, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 887(E), dated 12 November, 2003, namely :-

In the said notification, after the paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely :

"3. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 6 January, 2009, unless the notification is revoked earlier."

[F. No.354/211/2002-TRU(Pt.-I)]

SONAL BAJAJ, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.